The Court Of Addl. Dist. & Sess. Judge-I-cum-Spl. Judge NDPS Act. Begusarai

STATEMENT OF ACCUSED PERSON U/S 313 CR.P.C

JJCP Case No. 01 of 2024

The Examination of Accused Namely **Nikhil Kumar S/o Nagina Pd. Soni** age about 20 years take before me **Sri. Mahesh Prasad Singh Addl. Sessions Judge-I-cum Spl. Judge NDPS, Act. Begusarai** on the 03rd day of September 2025 in the language interpreted by me in Hindi to the accused.

Without Oath

My Name is **Nikhil Kumar S/o Nagina Pd. Soni**

My age is 20 years I am religion Hindu

My Nationality is Indian and I belong to

I am occupation Student

My home is at mauza **Fatehpur,** Police Station **Sahebpur Kamal** District **Begusarai**

प्रश्न 01 :– क्या आपने अभियोजन साक्षीयों का साक्ष्य सुना है ?

उत्तर :– हां।

प्रश्न 02 :– आपके विरूद्ध आरोप है कि आप अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर पीड़िता को प्रेम प्रंसग में फंसा कर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किया एवं नग्न अवस्था में उसका तस्वीर लिया और दिनांक 22.03.2023 को उसे जबरदस्ती हिमाचल प्रदेश ले गया और वहां भी शारीरिक संबंध बनाया, क्या कहना है ?

उत्तर :– गलत बात है।

प्रश्न 03 :– साक्षी संख्या 01 जो पीड़िता की माता है, ने कहा है कि घटना डेढ़ साल पुर्व की है। मेरी बेटी ने शाम को चार पांच बजे कहा कि वह अपने सहेली के यहां जा रही है। रात का 10–11 बज गया और वह घर नहीं आई तो मैं थाना पर सूचना दी। थाना हमसे पुछा कि आप को किसी पर शक है तो मैनें कहा कि मुझे किसी पर शक नहीं है। मैनें अपने सभी रिशतेदारो को फोन किया तो उन लेागो ने कहा कि यहां नहीं आई है। दिनांक 28.04.2023 को थाना से हमे फोन आया कि मेरी बेटी निखिल के साथ चली आई है। हम थाना गए तो थाना कहा कि बेटी आपकी आ गई है बेटी को ले जाईए। हम बोले कि जिसके साथ गई थी उसी के साथ रहे हम क्यो घर ले जाए। सरपंच मुखिया को बुला कर थाना पर ले गए। वहां पर निखिल के पिता और माता दोनो थे। मुखिया ने कहा कि आपका बेटा एक महिना रखा हुआ था तो शादी करके ले जाईए। निलिख के पिता बोले कि लड़की का 18 वर्ष उम्र पुरी नहीं है तब वहां पंचनामा बना कि 18 साल जब लड़की हो जाएगी तब शादी हो जाएगी। तब हम लड़की को लेकर घर आ गए। जब लड़की 18 साल की हो गई तब निखिल के पापा के पास गए कि लड़की की उम्र 18 साल हो गई है तब वह बोले शादी नहीं करेगें और भगा दिए। लड़की ने हमको बताया था कि निखिल हमें हिमाचल प्रदेश लेकर चला गया एवं वहां पर निखिल की नानी भी साथ में थी, एवं निखिल का बड़ा भाई यहां से वहां तक आता जाता था एवं निखिल के पिता खाना खाने के लिए पैसा भेजते थे। लड़की बताई कि मेरे साथ रेप किया गया है। लड़की ने यह भी बताया कि मेरे घर में जब कोई नहीं था तो वहां भी निखिल ने उसके साथ रेप किया था। लड़की ने बताया कि निखिल ने उससे कहा कि उसकी सोना चांदी की दूकान है और तुम्हारे विकलांग है अतः तुम मेरे साथ चलो तुम्हे रानी की तरह बना कर रखेगें। थाना में नहीं सुना

गया तो मेरी बेटी ने न्यायालय में आ कर मुकदमा किया, क्या कहना है?

उत्तर :- जी नहीं, गलत बात है।

प्रश्न 04 :- साक्षी संख्या 02 ने कहा है कि घटना करीब सवा साल पुर्व समय शाम के चार बजे की है। समय मैं भैया की दुकान पर था। मंदनी की मम्मी बताने आई कि शाम के चार बजे मंदनी कह गई थी कि हम सहेली के पास जा रहे है। रात 10 बजे मंदनी की मम्मी बताने आई थी कि मंद[illegible] अभी तक घर नहीं आई है। हम लोग भी आस पास पड़ोस में पता किए लेकिन वह नहीं मिली। सुबह हम 10 बजे थाना पर गए। वहां पर हम लोगो ने आवेदन दाखिल किए तो थाना प्रभारी पुछे कि किन्ही पर आपको शक भी है, मंदनी की मां बोली कि किसी पर शक नहीं है। दिनांक 28.04.2023 को मंदनी और निखिल थाने पर आए तो थाने से मंदनी की मां को फोन आया। तब हम लोग वहां गए। मंदनी ने बताया कि निखिल से उससे साल दो साल पहले बातचित चल रही थी, तो निखिल उसे अपनी दुकान में एवं मंदनी की दुकान में उसके साथ दुष्कर्म करता था। फिर वह उसे हिमाचल प्रदेश ले गया। हिमाचल प्रदेश में भी उसके साथ बलात्कार किया गया एवं मारपीट भी किया गया। वही पर निखिल की नानी भी रहती थी। निखिल का भाई सोनी जो वहां आना जाना करता था एवं निखिल के पापा उसे पैसा भी भेजते थे। जिस दिन हम लोग थाने पर गए उस दिन थाने पर पंचायत भी हुई और पंचानाम भी बना। पंच लोगो यह निर्णय किए कि बच्चो ने गलती की है तो इनकी शादी कर दी जाए। उस समय निखिल के पापा तैयार हो गए थे एवं हस्ताक्षर भी किए थे वह कहे थे कि लड़की 18 साल पुरा होने पर शादी कर लेगें। जब 18 वर्ष पुरा हो गया तो मंदनी की मां जब वहां गई तब उन्होने शादी करने से इंकार कर दिया एवं गाली गलौज किया एवं धक्का देकर भगा दिया और कहा जाओ जो करना हो करों, क्या कहना है ?

उत्तर :- जी नहीं, गलत कहा है।

प्रश्न 05 :- साक्षी संख्या 03 ने कहा है कि दिनांक 28.04.2023 को मुझे साहेबपुर कमाल थाना पर बुलाया गया था। सुनील साह की बेटी नंदनी कुमारी एवं नगिना सोनी का लड़का निखिल कुमार से बात चित कराई गई। डेढ़ महिना पुर्व ये लोग हिमाचल प्रदेश गया था वहां से थाना पर आया था। दोनो की शादी करने की बात कही गई। लड़की की तीन दिन बाद एवं लड़के की तीन महिने बाद उम्र पुरी हो रही थी इसलिए तीन महिने बाद का कागज बनाया गया था, उसमें अंकित था कि तीन महिने बाद शादी कराई जाएगी किन्तु शादी नहीं हुई। तीन महिने बाद लड़की की मम्मी लड़के के घर गई तो वहां पर निखिल कुमार के घरवालों द्वारा गाली गलौज किया गया। थाना पर हमने एक सनहा लिखवाया। थाना से मुझे आदेश मिला कि मुख्य आदमी को पकड़िये बात विचार हो जाएगा। हम लोग जिला परिषद संतोष कुमार को बोले तो वे जाकर नगिना सोनी की दुकान पर जाकर उन्हे समझाए तो वे नहीं माने। तब हम भाई के परिवार वालो को बोले कि आप लोग आगे बढ़िये, क्या कहना है ?

उत्तर :- जी नहीं, गलत कहा है।

06 :– इस कांड की पीड़िता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसके घर के नजदीक उसका सोना चांदी का दुकान है, आप ने उसे एक मोबाईल खरीद कर दिया और उसी मोबाईल से आप उससे बातचीत करने लगे। पीड़िता के पिताजी लकवा के मरीज थे आप ने उसको कहा कि यदि तुम हम से शादी कर लोगी तो रानी बना कर रखेगें और उसके साथ आप ने बलात्कार किया और फिर अपना दुकान में ले जाकर बलात्कार किया और उसका गंदा फोटो भी खींच लिया। शादी का प्रलोभन देकर हिमाचल प्रदेश ले गए वहां पर आपकी नानी भी रहती थी एवं आपका भाई रविसोनी भी वहां आता था। वही पर उसके मांग में सिन्दुर लगा दिया और बराबर उसके साथ गंदा काम करते थे एवं विरोध करने पर मारपीट करते थे जब पीड़िता बहुत रोने लगी तो आप उसे हिमाचल प्रदेश ला कर गांव में छोड़ दिया। गांव में पंचायती हुआ। पंचयती में आप के पिता ने कहा कि जब लड़की 18 वर्ष की होगी तो आप शादी कर लिजिएगा लेकिन आपने शादी नहीं किया, क्या कहना है ?

उत्तर :– जी नहीं, गलत बात है।

प्रश्न 07 :– आप पीड़िता को पहचानते है।

उत्तर :– हां पहचानता हूं, वह मेरे घर से दो–तीन किलोमीटर दूर की है।

प्रश्न 8 :– आपको पीड़िता से पहचान कैसे बनी?

उत्तर :– पीड़िता की मां अण्डा एवं जनरल स्टॉस की दुकान है एवं मैं भी वहां ठंडा पीने जाता था। मेरी नजर उस पर पड़ गई। तब मैं उसके भाई से दोस्ती किया। लड़की से मेरा प्रेम हो गया। बातचीत करने लगें। मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाया। लड़की मुझ पर शादी का दवाब बना रही थी। मैनें शादी से इंकार कर दिया। इस पर वह हम पर मुकदमा कर दी।

प्रश्न 9 :– बचाव में गवाह देना है?

उत्तर :– नहीं देना है।

Signature or mark of the accused

Nilchil Kumar

Addl. Sess. Judge-I-cum
Spl. Judge NDPS Act.
Begusarai

This examination was taken in my presence and under my hearing and it contains a full and true account of the statement made by the accused. It was readover to the accused interpreting in simple Hindi which he understood and was admitted by him to be correct.

Addl. Sess. Judge-I-cum
Spl. Judge NDPS Act.
Begusarai